



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28102025-267212
CG-MH-E-28102025-267212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4699]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 4699]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 16 अक्टूबर, 2025

रेलवे अधिनियम (संशोधन) 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 4843(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिला में "इटारसी - नागपूर तीसरी रेल्वे लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ के उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर (ग्रामीण), महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा

ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिला में "इटारसी - नागपूर तीसरी रेल्वे लाईन" रेल्वेमार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (M.Sq.)
1	नाग(प्रा)/काबी-398/2025	भोकारा	नागपूर (प्रा.)	वनिता दिलीपराव वानखेडे, विनिता वासुदेव राऊत, निकलेश वासुदेव राऊत, शुभम वासुदेव राऊत, रुमाबाई चिरकुट राऊत, प्रवीण चिरकुट राऊत	206	1	1.35	3224.673
2				चंद्रशेखर बाबुराव काळे, दत्तराज रामचंद्र राऊत, ज्ञानेश्वर वामनराव राऊत, प्रवीण वामनराव राऊत, चक्रधर वामनराव राऊत, सुरेखा दिलीप शेरने निरंजना वामनराव राऊत	146/1	1	1.41	5077.054
3				शामीम अहेमद अंसारी वल्द हबिब अहेमाद अंसारी	147	1	0.0375	2287.295
4				फरदीन अजहरुल हक, फरहान अजहरुल हक	148	1	0.40	1381.783
5				सैय्यद जाकीर हुसैन वल्द सैय्यद इनायत हुसैन	149	1	0.40	3189.078
6				आयोसिस कंपिटल प्रा.लि. तर्फे अधिकृत संचालक महेश चंद्रभान किगरानी	135/1/ 135/2	1	0.4094	1423.221
7				मेसर्स आयडिसी कन्ट्रक्शन तर्फे प्रो.प्रा. जाँवदीप सरकार जीवन कृष्ण सरकार	126/2/ 130/6	1	6.1215	544.75
8				मेसर्स आयडिसी कन्ट्रक्शन तर्फे प्रो.प्रा. जाँवदीप सरकार जोबन कृष्ण सरका	126/2/ 130/35	1	2.1929	127.82
9				मेसर्स आयडिसी कन्ट्रक्शन तर्फे प्रो.प्रा. जाँवदीप सरकार जोबन कृष्ण सरकार	126/2/ 130/5	1	7.6717	401.17

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (M.Sq.)
10				मेसर्स आयडिसी कन्ट्रक्शन तर्फे प्रो.प्रा. जाँवदीप सरकार जोबन कृष्ण सरकार	126/2/130/4		7.3616	208.87
11				सुरेन्द्र लक्ष्मीकांत दुबे, प्रिती विनोद गौतम, रजनी मनोज सरभाई, अनुराग गाबिंदप्रसाद खरे, रिचर्ड जोकिम डिमेलो, आशीष सोमाजी कारेमोरे, पीयूष जवाहरलाल जैसवाल, रजनी मनोज सरभाई	126/1	1	1.19	6126.834
कुल							28.5446 (H.a.)	23992.55 Sq.M, (2.399255 हे. आर.)

[फा. सं. G197/Itarsi-NGP 3rd line/Bhokara Vlg/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th October, 2025

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 4843(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Itarsi – Nagpur 3rd Railway line** in the district of Nagpur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub divisional officer and Land Acquisition Officer, Nagpur (Rural), Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project
Itarsi – Nagpur 3rd Rail line in the district of Nagpur in the State of Maharashtra.

Sr No.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (H.a.)	Acquisition area (M.Sq)
1	Ngp (Rural)/Poet-398/2025	Bhokara	Nagpur (Rural)	Vanita Diliprao Wankhede Vinita Vasudev Raut Niklesh Vasudev Raut Shubham Vasudev Raut Rumabai Chirkut Raut Pravin Chirkut Raut	206	1	1.35	3224.673
2				Chandrashekhar Baburao Kale Dattaraj Ramchandra Raut Dhyanneshwar Vamanrao Raut Pravin Vamanrao Raut Chakradhar Vamanrao Raut Surekha Dilip Sherje Niranjana Vamanrao Raut	146/1	1	1.41	5077.054
3				Shamim Ahmad Ansari Vald Habib Ahmad Ansari	147	1	0.0375	2287.295
4				Fardin Ajhalrul Hak, Farhan Ajhalrul Hak	148	1	0.40	1381.783
5				Sayyad Jakir Hussain Vald Sayyad Inayat Hussain	149	1	0.40	3189.078
6				Ayosys Capital Pvt. Ltd. on behalf of Authorized Director Mahesh Chandrabhan Kigarani	135/1/ 135/2	1	0.4094	1423.221
7				Messers IDC Construction on behalf of Prof. Joydeep Sarkar and Jivan Krishna Sarkar	126/2/ 130/6	1	6.1215	544.75
8				Messers IDC Construction on behalf of Prof. Joydeep Sarkar and Jivan Krishna Sarkar	126/2/ 130/35	1	2.1929	127.82
9				Messers IDC Construction on behalf of Prof. Joydeep Sarkar and Jivan Krishna Sarkar	126/2/ 130/5	1	7.6717	401.17
10				Messers IDC Construction on behalf of Prof. Joydeep Sarkar and Jivan Krishna Sarkar	126/2/ 130/4		7.3616	208.87
11				Surendra Laxmikant Dubey, Priti Vinod Gautam, Vinod Gautam, Rajni Manoj Sarbhai, Anurag Gavindprasad Khare, Rechard Jokim Dimeli, Ashish Somoji Karemore, Piyush Jawaharlal Jaiswal, Rajni Manoj Sarbhai	126/1	1	1.19	6126.834
				GRAND TOTAL			28.5446 (H.a.)	23992.55 Sq.M, (2.399255 H.a.)

[F. No. G197/ Itarasi-NGP 3rd line/Bhokara Vlg/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)